दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम.

/

राजेंद्र सिंह और हमारा। (2023 की सिविल अपील No.1301) 24 फरवरी, 2023

/

[एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** न्यायाधीशगण **]**

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013-धारा 24 (2)-डी. डी. ए. की ओर से विशिष्ट मामला कि प्रश्न भूमि का कब्जा ले लिया गया था और विवाद के कारण उक्त भूमि के संबंध में मुआवजा आर. डी. में भेज दिया गया था-उच्च न्यायालय ने इस पर भरोसा किया

/

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. बनाम के मामले में निर्णय।हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य ने घोषणा की कि अधिग्रहण

प्रश्न भूमि के संबंध में यू/एस समाप्त माना जाता है।24(2) अधिनियम, 2013 का केवल इस आधार पर कि मुआवजे का भुगतान भूमि मालिकों को विधि द्वारा ज्ञात तरीके से नहीं किया गया था -

/

आयोजित किया गयाःपुणे नगर निगम और ए. एन. आर. बनाम.हरकचंद

मिसरीमल सोलंकी और ओआरएस।विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य के न्यायालय में विधि पीठ द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है।

/

मानित चूक के लिए इंदौर विकास प्राधिअंतर्गत ण का मामला

अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) में दो शर्तों, अर्थात् (i) कब्जा नहीं लिया गया है और (ii) मुआवजा नहीं दिया गया है/भुगतान नहीं किया गया है, को पूरा किया जाना है और यदि एक शर्त पूरी नहीं होती है तो अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई चूक या चूक नहीं मानी जाएगी-इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर हैं और तदनुसार, खारिज कर दिया गया है-अपील की अनुज्ञात है।इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

/

(2020) 8 एससीसी **129:[2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1-**अनुसरण किया गया।

पुणे नगर निगम और अन्र बनामहरकचंद

/

मिसरीमल सोलंकी एंड ऑर्स (2014) 3 एस. सी. सी. 183:[2014] 1 एस. सी. आर. 783-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2020] 3 एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **3.1** ए

/

7

8 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस. सी. आर.

[2014] 1 पैरा **3** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 783**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील No.1301।

2015 के डब्ल्यूपी (सी) No.3561 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.08.2017 के निर्णय और आदेश से।

/

सुश्री मनिका त्रिपाठी, आशुतोष कौशिक, मनीष वशिष्ठ, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री ए. साहित्य वीणा, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, विकसित अरोड़ा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 3561 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा

उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है और घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश और यहां तक कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी शपथपत्र को देखने के बाद, जिसमें प्रतिवादी की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि प्रश्न भूमि का कब्जा ले लिया गया था और 23.09.1981 पर लाभार्थी विभाग को सौंप दिया गया था और विवाद के कारण उक्त भूमि के संबंध में मुआवजा आर. डी. में भेजा गया था।

/

3. हालांकि, इसके बाद उपरोक्त के बावजूद और पुणे नगर निगम के मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए

/

निगम और एन. आर. बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य।

(2014) 3 एस. सी. सी. 183, उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत केवल इस आधार पर व्यपगत माना जाता है कि मुआवजे का भुगतान भूमि मालिकों को विधि द्वारा ज्ञात तरीके से नहीं किया गया था।

/

/

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजेंद्र सिंह और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

3.1 उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के बिल्कुल विपरीत है

बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एस. सी. सी. 129।अनुच्छेद 366 में,

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी और निर्णय दिया हैः-
“366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैंः

/

366.1.धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

/

366.2.यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के अंतर्गत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

/

366.3.कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है।इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

/

366.4.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में न्यायालय में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है।जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के अंतर्गत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत ब्याज दिया जा सकता है।क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है।जमा न करने के मामले में

/

/

पांच साल या उससे अधिक के लिए अधिकांश जोत, 2013 अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान 1894 अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है। 366.5।यदि किसी व्यक्ति को 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के अंतर्गत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के अंतर्गत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है।जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई थी।

/

/

366.6.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में।366.7.1894 के अधिनियम के अंतर्गत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के अंतर्गत विचार किया गया है, जांच रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है।एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है।

/

/

366.8.धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों।न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

/

366.9.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है।धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात 1-1-2014।यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर प्रश्न उठाने की अनुमति देता है या ए

/

/

/

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजेंद्र सिंह और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.]

अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए न्यायालय के बजाय राजकोष में क्षतिपूर्ति जमा करने का तरीका। "

4. इस प्रकार, के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार

इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के अंतर्गत मानित चूक के लिए

अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) में दो शर्तों, अर्थात् (i) कब्जा नहीं लिया गया है और (ii) मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है/भुगतान नहीं किया गया है, को पूरा किया जाना है और यदि एक शर्त पूरी नहीं होती है तो अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई चूक या चूक नहीं मानी जाएगी।

/

5. इंदौर के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को लागू करना।

विकास प्राधिकरण (ऊपर), आक्षेपित निर्णय और आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जाना अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए और तदनुसार रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए।प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण में कोई चूक नहीं मानी जाएगी।

/

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः अभिषेक अग्निहोत्री, एलसीआरए)

/

/

/

/